

सम्बद्धता आदेश संख्या-सी०एस०जे०एम०वि०वि०/कुसका०/सम्ब०/361/2019 दिनांक: 30.05.2019 द्वारा
कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की अनुमति (दिनांक: 30.05.2019) से ऐलन हाउस बिजनेस स्कूल, रुमा, कानपुर नगर को स्नातक स्तर पर बी०बी०ए० पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत सत्र 2019-20 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

1. शैक्षिक सत्र 2018-19 के परीक्षाफल के अभाव में सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता आदेश इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि संदर्भित पाठ्यक्रम/विषयों का सत्र 2018-19 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुरूप (60 प्रतिशत उत्तीर्ण) होने की स्थिति में सत्र 2019-20 से सम्बद्धता के आदेश निर्गत किये जायेंगे।
2. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. संस्था कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों निरन्तर पूरी कर रहा है।
4. यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
5. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
6. महाविद्यालय समय-समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन समग्रता में सुनिश्चित करेगा अन्यथा सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही विचारणीय होगी।
7. संस्था द्वारा शासनादेश संख्या-421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
8. मानकानुसार शिक्षकों की निरन्तरता एवं बैंक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
9. महाविद्यालय द्वारा इस सम्बद्धता आदेश की प्राप्ति के पश्चात् ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। पाठ्यक्रम में प्रवेश शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत तत्सम्बन्धी दिशा निर्देशों के अधीन किया जाएगा।



छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब./6707/2019

दिनांक: 19/7/2019

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्धक, ऐलन हाउस बिजनेस स्कूल, रुमा, कानपुर नगर को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। स्नातक स्तर पर बी०बी०ए० पाठ्यक्रम का सत्र 2018-19 का परीक्षाफल घोषित हो गया है जो 60 प्रतिशत से अधिक रहा है। अतः आदेशानुसार महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर बी०बी०ए० पाठ्यक्रम में दिनांक: 01.07.2019 से सम्बद्धता (स्थायी) प्रदान की जाती है।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर गण्डल, कानपुर।
4. परीक्षा नियंत्रक, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।
5. सिस्टम मैनेजर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।
6. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेन्टर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।

(डॉ० विनोद कुमार सिंह)
कुल सचिव

सम्बद्धता आदेश संख्या-सी०एस०जे०एम०वि०वि०/कुसका०/सम्ब०/361/2019 दिनांक: 30.05.2019 द्वारा
कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की अनुमति (दिनांक: 30.05.2019) से ऐलन हाउस बिजनेस स्कूल, रुमा, कानपुर नगर को स्नातक स्तर पर बी०बी०ए० पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत सत्र 2019-20 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

1. शैक्षिक सत्र 2018-19 के परीक्षाफल के अभाव में सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता आदेश इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि संदर्भित पाठ्यक्रम/विषयों का सत्र 2018-19 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुरूप (60 प्रतिशत उत्तीर्ण) होने की स्थिति में सत्र 2019-20 से सम्बद्धता के आदेश निर्गत किये जायेंगे।
2. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. संस्था कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों गिरन्तर पूरी कर रहा है।
4. यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
5. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
6. महाविद्यालय समय-समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन समग्रता में सुनिश्चित करेगा अन्यथा सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही विचारणीय होगी।
7. संस्था द्वारा शासनादेश संख्या-421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
8. मानकानुसार शिक्षकों की निरन्तरता एवं बैंक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
9. महाविद्यालय द्वारा इस सम्बद्धता आदेश की प्राप्ति के पश्चात् ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। पाठ्यक्रम में प्रवेश शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत तत्सम्बन्धी दिशा निर्देशों के अधीन किया जाएगा।



छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब./7283/2019

दिनांक: 18/10/2019

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्धक, ऐलन हाउस बिजनेस स्कूल, रुमा, कानपुर नगर को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। स्नातक स्तर पर बी०बी०ए० पाठ्यक्रम का सत्र 2018-19 का परीक्षाफल घोषित हो गया है जो 60 प्रतिशत से अधिक रहा है। अतः आदेशानुसार महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर बी०बी०ए० पाठ्यक्रम में दिनांक: 01.07.2019 से सम्बद्धता (स्थायी) प्रदान की जाती है।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर गण्डल, कानपुर।
4. परीक्षा नियंत्रक, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।
5. सिस्टम मैनेजर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।
6. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेन्टर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।

(डॉ० विनोद कुमार सिंह)

कुल सचिव